

सं./ No. No. P-12011/1/2018-CAP (Computer No. 23199)

भारत सरकार/Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/
Ministry of Statistics & Programme Implementation
Coordination and International Cooperation Division

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110001
दिनांक/Dated 04.09.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Seeking views/comments on the draft Rules for implementation of the Collection of Statistics Act (CoS), 2008 as amended through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023– reg.

The undersigned is directed to enclose herewith the Gazette notification dated 20th August, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub section (i) for inviting comments/suggestions from concerned stakeholders within a specified period of 30 days of their publication.

2. In this regard, it is requested to kindly upload the Gazette notification dated 20th August, 2024 on the homepage of MoSPI's website prominently under "What's New" tab with the heading "*Inviting comments on the draft Rules for implementation of the Collection of Statistics Act (CoS), 2008 as amended through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023*".

Encl.: as above

Shantanu Dixit
4/9/24
(Shantanu Dixit)
Deputy Director

To,

Ms. Anjana Dutt
The Joint Director
Computer Centre, MoSPI
Email: anjana.dutt@nic.in



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256580
CG-DL-E-23082024-256580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 474]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 513(अ).— सांख्यिकी संग्रहण (सीओएस) नियम, 2011 को और अधिक संशोधित करने के लिए निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्र सरकार ने सांख्यिकी संग्रहण (सीओएस) अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे उप महानिदेशक, समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग (सीआईसीडी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली - 110001 को या ईमेल द्वारा capcso-mospi@gov.in, cyriac.george41@nic.in और dixit.shantanu@nic.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) नियम, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर संशोधित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 अभिप्रेत है;

(ख) "फार्म" से इन नियमों से संलग्न फार्म अभिप्रेत है।

(ग) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत अधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "निजी सूचना" से किसी सूचनादाता के संबंध में ऐसी कोई सूचना, अभिप्रेत है, चाहे वह सत्य है या नहीं, और चाहे वह तात्विक रूप से अभिलिखित की गई है या नहीं है और जिसकी पहचान का अभिनिश्चयन इस प्रकार की सूचना से उपयुक्त तरीके से किया जा सके।

(ङ) "संदर्भ अवधि" से वह अभिप्रेत है जिस अवधि के दौरान आंकड़े संग्रहीत किए गए और यह परिगणना इकाइयों की विशेषताओं को भी दर्शाती है।

(च) किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासन अभिप्रेत है; एवं

(छ) "आउटसोर्सिंग" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए निजी सेवा प्रदाता की सेवाओं का प्रयोग अभिप्रेत है।

(ज) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 15क के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 15ख के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है; और

(ञ) "भू-राजस्व का बकाया" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 के अनुसार दंड के रूप में देय और वसूली योग्य राशि से है तथा राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अनुसार वसूली योग्य है।

(2) इसमें प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अर्थ उनका अधिनियम में हैं।

3. नोडल अधिकारी- (1) केंद्रीय सरकार, सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में राज्य सरकार के उप सचिव स्तर के पद से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

4. नोडल अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य- (1) नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया गया नोडल अधिकारी निम्नलिखित तरीके से सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और पर्यवेक्षण सहित अधिनियम की धारा 3 (क) के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेगा:

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के रजिस्टर का अनुरक्षण एवं अद्यतन करेगा,

(ख) समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्यों के नोडल अधिकारियों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत की गई है या नहीं, को प्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा,

(ग) केंद्रीय सरकार के विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों को प्रशासनिक अभिलेखों की सांख्यिकीय संभावना में सुधार लाने के उपायों पर परामर्श देगा ताकि ऐसे प्रशासनिक अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके।

(घ) केंद्रीय सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच इकाई-स्तरीय डेटा सांख्यिकी सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके और

(ड) अधिनियम के कार्यकरण पर केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(च) 4(1) (ड) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए, नोडल अधिकारी कोई भी सूचना मांग सकता है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें न्यायनिर्णित मामलों की संख्या और समुचित सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है।

(2) नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किया गया नोडल अधिकारी

(क) समय-समय पर राज्य में नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के रजिस्टर अनुरक्षित एवं अद्यतन करेगा:

(ख) समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों एवं राज्य में स्थानीय सरकारों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहीत की गई है या नहीं, को अभिप्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा।

(ग) राज्य सरकार के विभागों और राज्य में स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक अभिलेखों की सांख्यिकीय संभावना में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों का परामर्श देना ताकि ऐसे प्रशासनिक अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके।

(घ) राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय शासनों के बीच इकाई-स्तर के डाटा सहित सांख्यिकीय सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके;

(ड) सरकारी विभागों तथा राज्य में स्थानीय शासनों से इस अधिनियम के कार्यकरण पर यथापेक्षित रिपोर्ट प्राप्त करना, तथा राज्य में इस अधिनियम के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भेजना।

(च) 4(2)(ड.) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए, नोडल अधिकारी कोई भी जानकारी मांग सकता है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें न्यायनिर्णित मामलों की संख्या और समुचित सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है।

5. आंकड़ों के संग्रहण पर निदेश: (1) केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, केंद्र सरकार के नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(2) राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार का कोई विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(3) नोडल अधिकारी उप नियम (1) अथवा उप नियम (2) के अधीन, यथास्थिति किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर एक माह की अवधि के भीतर संबंधित कार्यालय को यथास्थिति ऐसी सलाह देगा जिससे सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(4) समुचित सरकार उपनियम (3) के अधीन सलाह प्राप्त होने पर ऐसी सलाह से असहमति से सभी मामलों की संसूचना नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व देगी।

(5) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्

(क) सांख्यिकी संग्रहण का विषय एवं प्रयोजन:

(ख) सांख्यिकी संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र;

(ग) आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया:

- (घ) सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संग्रहीत किए जाने हैं;
- (ङ) अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूरा किया जाना है;
- (च) निर्दिष्ट अवधि;
- (छ) संग्रहीत की जाने वाली सूचना का प्रकार;
- (ज) भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है;
- (झ) सूचनादाता की बाध्यता;
- (ञ) निरीक्षण किए जाने वाले कार्य संबंधी अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों का प्रकार;
- (ट) निरीक्षण की रीति; और
- (ठ) नियम 7 में दिए अनुसार सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों का ब्यौरा।
- (6) उप नियम (5) में संदर्भित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी एवं संबंधित राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाए।
- (7) समुचित सरकार ऐसी अधिसूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहेगी।

6. सूचना अनुसूचियां विहित करने के सिद्धांत- किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु किसी भी रूप में कोई सूचना अनुसूची विहित करने के संबंध में, यथास्थिति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकीय अधिकारी, स्वयं पूर्ति करेगा कि -

- (i) उसे अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के अधीन दिए गए निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उस विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण का निदेश देने का प्राधिकार है;
- (ii) उसने सूचना संग्रहीत की जाने वाली मदों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ, अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श किया है;
- (iii) निदेश देकर सूचनादाता पर अत्याधिक मांग नहीं डाली जाएगी और जहां आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए सूचना अनुसूची की क्षेत्र जांच कर ली गई हो;
- (iv) किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट सूचना अनुसूचियों में रेंज और ब्यौरे आंत्यांतिक अपेक्षा तक सीमित रखे जाएंगे;
- (v) जहां तक संभव हो रिपोर्ट देने का दायित्व समुचित नमूनाकरण के माध्यम से सूचनादाताओं पर डाला जाएगा;
- (vi) कारोबार से संबंधित मांगी गई सूचना, उनके खातों से सहज ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक साधन उपयोग किए जाने चाहिए ताकि उनके संग्रहण को सुगम बनाया जा सके;
- (vii) जब किसी सूचनादाता के पास यथार्थ ब्यौरे सहज में उपलब्ध नहीं हैं तो मांगी गई सूचना की किसी मद पर बेहतर आकलनों एवं मोटे अनुमानों को स्वीकार किया जाएगा;
- (viii) किसी सूचनादाता से सांख्यिकी संग्रहण के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सूचना अनुसूची में, जहां आवश्यक है, उन विशिष्टियों के लिए प्रावधान जिन पर सूचना सूचनादाता के विवेक पर प्रस्तुत की जा सकती है;
- (ix) विशिष्टियां भरने तथा सांख्यिकी के संग्रहण में लगे संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में प्रावधान किया गया है;
- (x) अधिनियम के अंतर्गत उनसे सांख्यिकी का संग्रहण करने से पहले सूचनादाता को सामान्य सूचना के लिए, उनसे एकत्र की गई किसी सूचना को प्रकट करने की अपनी योजना, यदि कोई है, को प्रत्येक सूचना अनुसूची में सूचित कर जो समुचित सरकार की राय में किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में अथवा उनको आबंटित किसी वर्गीकरण, यदि कोई है, तथा संलग्न लोगों की संख्या दोनों के साथ सूचनादाता के नामों और पतों की तालिका अथवा सूची के रूप में उपलब्ध है; और
- (xi) प्रत्येक सूचनादाता से, जिनकी खंड (X) अधीन आनेवाली सूचना से भिन्न सूचना के प्रकटन का वह प्रस्ताव करता है कि लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में उपबंध करना।

7. सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णय अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति-(1) समुचित सरकार अधिनियम की धारा 4, 15 (क) और 15 (ख) के अधीन सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णय अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उसके संबंध में जारी किसी भी अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित विवरण प्रदान करेगा, अर्थात्

(क) आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रत्येक भौगोलिक इकाई हेतु सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का पदनाम और पता;

(ख) आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रत्येक भौगोलिक इकाई हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का पदनाम और पता;

(ग) आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रत्येक भौगोलिक इकाई हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का पदनाम और पता;

(घ) आंकड़ों के संग्रहण से जुड़े किसी अभिकरण अथवा कम्पनी अथवा संगठन अथवा एसोसिएशन अथवा व्यक्ति के ब्यौरे तथा कार्य से संबंधित निबंधन और शर्तें तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रक्षोपाय,

(ङ) अपेक्षित प्रारूप और विशिष्टियां अथवा अंतराल, जिसमें कोई सांख्यिकी अधिकारी, जिसको, सूचनादाताओं द्वारा दी गई सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की जाएगी; तथा

(च) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (4) और उप धारा (6) के अधीन किसी सांख्यिकी अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां, यदि कोई हों।

2. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी अपनी नियुक्ति होने के तुरंत बाद समुचित सरकार को प्रपत्र-I में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा।

8. सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णय अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण: समुचित सरकार, नियमों के धारा 5 के साथ पठित अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिसूचनाओं के आधार पर प्रारूप-II में सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और भौगोलिक क्षेत्रों जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, के संबंध में सांख्यिकीय अधिकारियों का एक अभिलेख रखेगी।

9. सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां और कृत्य: किसी भौगोलिक इकाई में किसी विषय के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

- (i) अनुदान प्राप्त करना और आंकड़ों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करना;
- (ii) आंकड़ों के संग्रहण के लिए अभिकरणों की नियुक्ति करना या उन्हें इस कार्य में लगाना;
- (iii) आंकड़ों के संग्रहण में लगे व्यक्तियों से प्रारूप-I में वचन-बंध प्राप्त करना तथा उन्हें समुचित सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करना;
- (iv) सुसंगत सूचना अनुसूचियों तथा आंकड़ों के संग्रहण की रीति अथवा रीतियों को आवश्यक अनुमोदन के साथ यदि कोई है तो, तैयार करना या करवाना;
- (v) अपनी अधिकारिता के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के कार्य को ऐसे विभिन्न व्यक्तियों और अभिकरणों को आवंटित करना या करवाना, जो इस प्रयोजन के लिए कार्यरत हैं,
- (vi) सभी सुसंगत सामग्री को कार्यरत अभिकरणों को वितरित करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि आंकड़ों के संग्रहण को सुकर बनाया जा सके;
- (vii) समुचित समय पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करवाना;
- (viii) आंकड़ों के संग्रहण की अवधि के दौरान सभी अभिकरणों के कार्य में समन्वय करना तथा आंकड़ों के संग्रहण के सूचारू संचालन हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखना;
- (ix) जहां आवश्यक हो, सूचनादाताओं को, सूचना प्रस्तुत करने के लिए, अपने हस्ताक्षर से सूचना जारी करना तथा ऐसे सूचनादाताओं से प्राप्त हुई पावतियों को सुरक्षित ढंग से रखवाना;

- (x) यदि सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में विभिन्न निर्दिष्ट अवधियों सहित सूचनादाताओं का समान समूह शामिल है, तो प्रत्येक सूचनादाता को केवल एक सूचना जारी करने के लिए कदम उठाना जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना और वे निर्दिष्ट अवधियां दर्शाई गई हों, जिनके लिए सूचना अपेक्षित है;
- (xi) स्वयं द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, आंकड़ों के संग्रहण के लिए किसी सूचनादाता के परिसर में प्रवेश हेतु लिखित स्वीकृति देना तथा उन्हें स्वयं द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र प्रदान करना;
- (xii) मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए यदि सूचनादाताओं को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध कराना;
- (xiii) किसी सूचनादाता को एकत्रित सूचना तक उस सूचनादाता की पहुंच संभव बनाना ताकि किसी अशुद्ध सूचना की स्थिति में, सुधार अथवा संशोधन के विषय में सूचित करना सुकर हो सके;
- (xiv) किसी सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कारित करना;
- (xv) अधिनियम के उल्लंघन के मामले में, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिनियम और इन नियमों के प्रावधान के अनुसरण में अभिकथित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करना;
- (xvi) आंकड़ों के संग्रहण में लगे हुए अभिकरणों से सभी सूचना अनुसूचियां प्राप्त करना, आंकड़ों के संग्रहण में लगे हुए सभी व्यक्तियों से वचन-बंध अभिप्राप्त करना, उनके कार्य के पूरा होने पर अन्य सभी सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज अभिप्राप्त करना तथा उस निमित्त प्रमाण पत्र के साथ उन्हें समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करना;
- (xvii) ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आंकड़ों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक हों; और
- (xviii) ऐसी आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (xix) अधिनियम के उल्लंघन, उनके निपटान, शास्तियों और वसूली के विवरण और उनकी स्थिति के रूप में दर्ज किए मामलों के रजिस्टर को बनाए रखना;
- (xx) न्याय-निर्णय अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के अनुसरण में अर्थदंड के देय होने पर शास्ति के निक्षेप के आदेश के अनुपालन, की निगरानी करना।
- (xxi) यथा आदेशित शास्ति के जमा न करने के मामले में भू-राजस्व के बकाए के रूप में शास्ति के वसूली की प्रक्रिया शुरू करना;

10. आंकड़ों के संग्रहण में सहायता: (1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय शासनों का प्रत्येक विभाग, यथा अपेक्षित समय और प्रारूप में, सूचनादाताओं की सूची और उनके पास उपलब्ध ऐसी अन्य सूचना जो इन नियमों के अधीन किसी सांख्यिकी सर्वेक्षण को आयोजित करने के लिए सुसंगत है, सांख्यिकी अधिकारी या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति को, इस निमित्त की प्राप्ति पर प्रस्तुत करेगा।

(2) यथाशक्ति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी, अधिनियम के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के लिए अपेक्षित सहायता की प्रकृति का विशेष उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य शासन या किसी स्थानीय शासन के किसी विभाग को पत्र लिख सकता है तथा ऐसे पत्र की प्राप्ति पर, उक्त विभाग यथासाध्य आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

(3) विक्षुब्ध क्षेत्रों में आंकड़ों के संग्रहण की दशा में, पुलिस, अर्द्ध सैन्य बलों और सैन्य बलों द्वारा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को ऐसी सहायता प्रदान की जाएगी जो यह आवश्यक समझे।

11. सूचना देने का कर्तव्य: अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

(1) प्रत्येक सूचनादाता को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित अपने आधिपत्य में लेखा पुस्तको, वाउचरों, दस्तावेजों, अथवा कारोबार से जुड़े अन्य अभिलेख अथवा व्यक्तिगत अभिलेख अथवा दस्तावेजों के मांगे जाने पर सांख्यिकी अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने होंगे जो लिखित रूप में सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा उसके द्वारा उसे फोटो पहचान- पत्र जारी किया गया हो, तथा यथास्थिति सांख्यिकी अधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे अभिलेख एवं दस्तावेजों के सारांश ले सकेगा; और

(2) प्रत्येक कुटुम्ब का मुखिया आश्रितों सहित परिवार के सदस्यों के नाम और संख्या, अन्य विशिष्टियां, अभिलेख और यथापेक्षित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अथवा प्रस्तुत करवाने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि जहां तक अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों तथा पागलखानों जैसी संस्थाओं के निवासियों का संबंध है, अपेक्षित विवरण, अभिलेख तथा दस्तावेज उपलब्ध करने अथवा करवाने का दायित्व संस्था के प्रमुख का होगा।

12. आउटसोर्सिंग के लिए सामान्य नियम, शर्तें एवं रक्षोपाय - किसी भी व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा संगम द्वारा अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण हेतु प्रत्येक संविदा अथवा व्यवस्था निम्नलिखित नियम, शर्तों तथा रक्षोपाय के अधीन होगी, अर्थात:-

(क) आउटसोर्सिंग की व्यवस्था औपचारिक तथा व्यापक लिखित अनुबंध के अधीन होगी;

(ख) कार्य जिनका विनिश्चय तथा प्रवर्तन अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा किया जाना है, को आउटसोर्स से नहीं किया जाएगा;

(ग) समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के परिसर अथवा कार्य स्थल की सूचना तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करने अथवा इसका आदेश देने का अधिकार होगा तथा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के मामले में संविदा रद्द करने का अधिकार होगा;

(घ) सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े प्रत्येक अभिकरण को सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अथवा अभिकरण को वह समस्त सहायता तथा मदद देनी होगी तथा वैसी सूचना प्रदान करनी होगी जो वह उसके कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, तथा निरीक्षण एवं जाँच के लिए आवश्यकतानुसार जो भी अभिलेख, योजना तथा अन्य दस्तावेज अपेक्षित हो, वह उपलब्ध कराएँ;

(ङ.) किसी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी संग्रहण के कार्य में नियुक्त व्यक्तियों को अभिकरण की बाध्यता के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, तथा ऐसे व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को प्रारूप में लिखित वचनबंध दें कि वे अपने नियोजन के कर्तव्य निष्पादन अथवा सिवाए संविदा बाध्यता के व्यक्तिगत सूचना को एक्सेस नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रकटन नहीं करेंगे अथवा उसे अपने पास नहीं रखेंगे; साथ ही, उन्हें अवगत कराया गया है कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों का अनुपालन न करना एक अपराध होगा जिसके लिए वे अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के दायी होंगे;

(च) सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों से बाध्य होगा, तथा इसका अतिक्रमण होने पर वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा;

(छ) सूचना के प्रकटन से संबंधित उपबंध और धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के अधीन उसके प्रयोग पर निबंधन तथा यह नियम संविदा में उपबंधित सांख्यिकी के संग्रहण की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे और यथास्थिति संविदा की समाप्ति या पूरा होने पर भी प्रभावी रहेंगे।

(ज) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी तुरंत सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित अभिकरण को शिकायत के केवल उन व्यौरों की संसूचना देगा जो करार भंग का या किसी भावी करार भंग को न्यूनतम करने या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना करने में या इन नियमों की अनुपालना करने में असफलता का निवारण करने के लिए आवश्यक हो:

(झ) सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित कोई अभिकरण यदि किसी सूचनादाता से कोई शिकायत प्राप्त करता है तो इसकी सूचना तुरंत यथा अपेक्षित समुचित सरकार या संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या समुचित सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी, को देगा;

(ञ) खंड (ज) अथवा खंड (झ) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अभिकरण को यथा अपेक्षित निदेश देगा; तथा

(ट) सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरा होने पर सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को सौंपेगा और समुचित सरकार या इस प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

13. व्यक्तिगत सूचना के प्रयोग पर निर्बंधन- सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक अभिकरण युक्तियुक्त उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि-

- (क) वैयक्तिक सूचना अप्राधिकृत पहुंच, प्रकटन या अन्य दुरुपयोग से संरक्षित है;
- (ख) अभिकरण वैयक्तिक सूचना का उपयोग विनिर्दिष्ट संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करती है;
- (ग) समान सूचनादाताओं के सेट से पुनरावृत्तिक सांख्यिकी सर्वेक्षणों की दशा में अभिकरण पहले से ही संग्रहित वैयक्तिक सूचना का प्रयोग साक्षात्कार के लिए या अन्यथा सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए करता है; और
- (घ) अभिकरण द्वारा प्रसंस्करण के लिए वैयक्तिक सूचना का प्रयोग पर्याप्त सुरक्षा जांच के साथ करता है।

14. सूचनादाताओं के किसी भी परिसर में प्रवेश का अधिकार:- सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत तथा उसके द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजन के लिए आंकड़ा संग्रहण की अवधि के दौरान अथवा इसके संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण एवं जांच के लिए किसी भी दिन 10.00 बजे से 17.00 बजे के दौरान अथवा दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के अनुसार तय समय पर सूचनादाता के परिसर के उस भाग में जहां सामान्यतः आगतुक अथवा अतिथि आते-जाते हैं अथवा सूचनादाता द्वारा सुझाये गए स्थान पर प्रवेश का अधिकार होगा।

15. अधिनियम के किसी भी कथित उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले मामलों की प्रक्रिया - (1) सूचना देने वाले द्वारा अधिनियम के किसी भी कथित उल्लंघन के मामलों में, सांख्यिकी अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, लिखित रूप में कथित विरोधी को नोटिस जारी कर सकता है, ताकि नोटिस में उचित समय के भीतर कारण निर्दिष्ट किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ दंड की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

(2) एक सांख्यिकी अधिकारी, इस नियम के उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में कथित विरोधी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद और लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, कथित विरोधी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ मामले को अग्रपेक्षित करेगा, और साथ ही न्यायनिर्णायक अधिकारी को दंड की कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार भी देगा।

(3) सूचना देने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम का कथित उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, समुचित सरकार नियमों के अनुसार जांच करने के पश्चात् उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस जारी कर सकेगी, ताकि वह नोटिस में निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर कारण बताए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही क्यों न प्रारंभ की जाए।

(4) समुचित सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, इस नियम के उपनियम (3) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस की एक प्रति तथा कथित उल्लंघनकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को शास्ति निर्धारण तथा अधिरोपण या अन्यथा जांच करने के लिए भेज सकेगी।

(5) ऐसे मामलों में जहां सूचना देने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, समुचित सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में रिपोर्ट किए गए कथित उल्लंघनों की प्रकृति पर लागू नियमों के अनुसार स्वतंत्र कार्यवाही शुरू कर सकती है।

15क. दंड का निर्धारण और अधिरोपण:-

- (1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में, आवश्यकतानुसार उतने अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जो सांख्यिकी अधिकारी के पद से नीचे के नहीं होंगे।
- (2) जब भी निर्धारण और जुर्माना लगाने के लिए कथित उल्लंघन का मामला संदर्भित किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले की जांच करेगा और व्यक्तिगत रूप से या आभासी या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से सुनवाई करेगा।
- (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति (व्यक्तियों) सहित पक्षकारों को सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व नाम सहित, कथित उल्लंघन, तिथि, स्थान और सुनवाई के तरीके का उल्लेख करते हुए, मामले के प्रासंगिक दस्तावेजों सहित सुनवाई का नोटिस जारी करेगा।

- (4) सुनवाई की सूचना में लिखित संचार प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया जा सकता है, जो मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो सकता है, यदि पक्षकार सुनवाई की तारीख से पहले ऐसा चाहें।
- (5) सुनवाई की सूचना निम्नलिखित तरीकों से दी जाएगी, अर्थात्:-
 - (i) स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा; और सुपुर्दगी का सबूत केस फाइल के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- (6) पक्षकार मामले की सुनवाई के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा तय की गई सुनवाई के निर्दिष्ट तरीके से व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।
- (7) न्यायनिर्णायक अधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात अपने हस्ताक्षर तथा अपने द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले प्राधिकारी की मुहर सहित एक तर्कपूर्ण तथा स्पष्ट आदेश पारित करेगा। उक्त आदेश की एक प्रति पक्षकारों को तामील की जाएगी तथा सुपुर्दगी का सबूत मामले की फाइल के अभिलेख में रखा जाएगा।
- (8) यदि उल्लंघनकर्ता पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी का विवरण और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की समय-सीमा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सरकारी खाते का विवरण और जुर्माना राशि की वसूली का तरीका और साथ ही राशि जमा करने की समय-सीमा तीस दिनों से कम नहीं होनी चाहिए, आदेश में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यदि जुर्माना समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की प्रक्रिया का भी आदेश में उल्लेख किया जाएगा।
- (9) आदेश में उल्लंघनकर्ता द्वारा दंड आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सांख्यिकी अधिकारी को देने का भी उल्लेख होना चाहिए।

15ए. न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियां:- अधिनियम की धारा 15ए के तहत जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी-

- (i) पक्षकारों से शपथ या शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य मांगना, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से भी साक्ष्य मांगना शामिल है, जिसे बुलाया गया हो;
- (ii) प्रासंगिक दस्तावेजों, अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना;
- (iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। जिला प्रशासन सहित कोई भी उपयुक्त एजेंसी अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर ऐसी सहायता प्रदान करेगी।

15बी. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील-

- (1) समुचित सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पद से ऊपर के अपने किसी भी अधिकारी को अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपील प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- (2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्ररूप-III में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
- (3) तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्टि दे दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था। यदि अपील न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गई है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन अपील के निपटारे तक स्थगित रखा जाएगा।
- (4) जब कभी ऐसी अपील प्राप्त होती है, तो अपील प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से, जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए, सुनवाई करेगा।

- (5) अपील प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति (व्यक्तियों) सहित पक्षकारों को सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व नाम, तारीख, स्थान और सुनवाई के तरीके के साथ-साथ अपील की प्राप्ति के सुसंगत दस्तावेजों सहित सुनवाई की सूचना जारी करेगा।
- (6) सुनवाई की सूचना में पक्षकारों द्वारा लिखित संचार प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया जा सकता है, जो अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, यदि वे सुनवाई की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले ऐसा चाहें।
- (7) सुनवाई की सूचना निम्नलिखित तरीकों से दी जाएगी, अर्थात्:-
- (i) स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा; और सुपर्दगी का सबूत केस फाइल के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- (8) पक्षकार मामले की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुनवाई के निर्दिष्ट तरीके से उपस्थित हो सकते हैं, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।
- (9) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।
- (10) उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित पक्षकारों और सांख्यिकी अधिकारी को तामील की जाएगी तथा सुपर्दगी का सबूत मामले की फाइल के अभिलेख में रखा जाएगा।
- (11) यदि अपीलीय प्राधिकारी ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है, तो अपील के निर्णय में उक्त आदेश के अनुपालन की समयसीमा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (12) अधिनियम की धारा 15बी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

16. आंकड़ों और अभिलेखों का भंडारण.- अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे ब्यौरे उपलब्ध कराएगा, जिनके द्वारा कोई भी सूचनादाता किसी गलत सूचना में सुधार या संशोधन की सूचना देने में सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी सूचना तक पहुंच सकता है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन एकत्रित आंकड़ों को ऐसी रीति से संग्रहीत करेगा, जिससे किसी भी सूचनादाता से एकत्रित सूचना को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ताकि यदि आवश्यक हो, तो सूचनादाता तक पहुंच प्रदान की जा सके और सांख्यिकी अधिकारियों तथा सांख्यिकी संग्रह में लगे अन्य व्यक्तियों या एजेंसियों से प्राप्त सभी वचनबद्धताओं और अन्य सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

फार्म-1

[नियम 7 (2), 9 (iii), 12 (ड.) देखें]

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2008 (2009 का 7) के प्रावधानों के अंतर्गत सांख्यिकी का संग्रहण करने हेतु नियत किए गए सांख्यिकी अधिकारी/ न्यायनिर्णायक अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी गई वचनबद्धता

मैं, _____ (पूरा नाम), जन्म तिथि _____ (जन्म तिथि), पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ (व्यक्ति का नाम) निवासी _____ (पता) यह स्वीकार करता हूँ कि मैं सांख्यिकी के संग्रहण हेतु सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7), जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2023 के अंतर्गत _____ (अधिनियम की धारा 3 / धारा 15क + धारा 15ख के अंतर्गत दिए गए निदेश) दिए गए उत्तरदायित्व _____ (काम की प्रकृति) को स्वीकार करता हूँ तथा यह वचन देता हूँ कि मैं अपने कार्य के निष्पादन अथवा संविदात्मक बाध्यता के इतर किसी भी जानकारीप्रदाता की निजी जानकारी तक पहुँच, उपयोग, उद्घाटन अथवा संरक्षण नहीं करूंगा, और मेरे द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, मैं अधिनियम के प्रावधानों अथवा संबद्ध कानून के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा।

जगह : _____

तिथि : _____

सांख्यिकी अधिकारी/ न्यायनिर्णायक अधिकारी /अपीलीय अधिकारी
या सांख्यिकी संग्रहण के कार्य में लगे हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर

फार्म -II

(नियम 8 देखें)

समुचित सरकार द्वारा रखरखाव किए जाने वाले सांख्यिकी अधिकारियों/ न्यायनिर्णायक अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों का रजिस्टर

1. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के तहत जारी निदेश का विवरण:
2. निदेश बनाने वाली समुचित सरकार का नाम और पता:
3. (क) पूर्वोक्त निदेश के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रहण के लिए तैनात किए गए सांख्यिकी अधिकारी का विवरण:

क्र.सं.	सांख्यिकी अधिकारी का पद नाम	कार्यालय का पता	जिस भौगोलिक इकाई के लिए नियुक्त किया गया और नियुक्ति की अवधि	अधिनियम की धारा 4(4) और धारा 4(6) के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियां, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की अवधि
(6)	(7)

- (b) विवरण का न्यायनिर्णायक अधिकारियों के लिए संग्रह का आंकड़े अंतर्गत पूर्वोक्त निदेश:

क्र.सं.	न्यायनिर्णायक अधिकारी का पद नाम	अधिकारी का पता	जिस भौगोलिक इकाई के लिए नियुक्त किया गया और नियुक्ति की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)

नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की अवधि
(5)	(6)

(c) पूर्वोक्त निदेश के अंतर्गत सांख्यिकीय संग्रहण के किए अपीलीय अधिकारी का विवरण :

क्र.सं.	अपीलीय अधिकारी का पदनाम	अधिकारीका पता	भौगोलिक इकाई जिसके लिए नियुक्त किया गया और नियुक्ति की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)

नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की अवधि
(5)	(6)

स्थान _____

तारीख: _____

सांख्यिकी अधिकारियों, न्यायनिर्णायक अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के कार्यालय मुहर के साथ हस्ताक्षर

प्रपत्र -III (न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर करने हेतु प्रपत्र)

[नियम 15 बी देखें]

सेवा में

अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अपीलीय अधिकारी:

अपीलीय अधिकारी का भौगोलिक क्षेत्राधिकार:

विषय : अधिनियम की धारा 15 बी के अंतर्गत याचिका

1. अपीलार्थी का नाम और पता
2. न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम और पता
3. उस मामले का विवरण जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है
.....
.....
4. उस आदेश का विवरण, संख्या और तारीख सहित, यदि कोई है, जिसके लिए याचिका दायर की गई
.....
5. जुर्माने की राशि (राशि रु. में).....
6. याचिका के लिए आधार
7. याचिका में की गई प्रार्थना या मांगी गई राहत
.....
8. याचिका के लिए कोई अन्य प्रासंगिक सूचना
.....
9. क्या याचिका 30 दिन के भीतर दायर की गई है (हां /नहीं)? यदि नहीं, तो विलंब का कारण :
.....

अपीलार्थी का नाम.....

हस्ताक्षर.....

स्थान _____

तारीख: _____

पत्र-व्यवहार के लिए पता (मोबाइल /टेलीफोन नं और ईमेल, जहां कहीं भी उपलब्ध हो, सहित)

संलग्नक:

1. निर्णयनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति।
2. मामले की सुनवाई के समय न्यायनिर्णायक अधिकारी से प्राप्त मामला संबंधी दस्तावेज
3. कोई अन्य प्रासंगिक विश्वसनीय सामग्री।
4. विलम्ब यदि कोई है के लिए औचित्य।

[फा.सं. - पी-12011/1/2018-सीएपी]
सी.के. झा, उप-महानिदेशक (सीआईसीडी)

नोट: मुख्य नियम दिनांक 16 मई, 2011 के जी.एस.आर. 387(ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

G.S.R. 513(E). — The following draft rules to further amend the Collection of Statistics (CoS) Rules, 2011 which the Central Government proposed to make in exercise of the powers conferred by section 33 of the Collection of Statistics (CoS) Act, 2008 (7 of 2009), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Deputy Director General, Coordination and International Cooperation Division (CICD), Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, Khurshid Lal Bhawan, New Delhi – 110001 or by email at capcso-mospi@gov.in, cyriac.george41@nic.in and dixit.shantanu@nic.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the central Government.

DRAFT COLLECTION OF STATISTICS (AMENDMENT) RULES, 2023

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Collection of Statistics (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:** (1) In these rules, unless the context otherwise requires –
 - (a) ‘Act’ means the Collection of Statistics Act, 2008 as amended time to time;
 - (b) ‘Form’ means a form appended to these rules;
 - (c) ‘nodal officer’ means an officer designated as nodal officer under rule 3 of these rules;

- (d) "personal information" means any information, whether true or not, and whether recorded in a material form or not, about an informant whose identity can reasonably be ascertained from such information;
- (e) "reference period" means the time period over which the data collected reflects the characteristics of the units of enumeration;
- (f) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administration thereof;
- (g) "outsourcing" means making use of the services of a private service provider for the purposes of these rules;
- (h) "adjudicating officer" means the officer(s) appointed under Section 15A the Act;
- (i) "appellate authority" means the officer(s) authorized by appropriate government under Section 15B the Act; and
- (j) "Arrear of land revenue" means the amount due and recoverable as penalty in terms of the Section 15 of the Act and recoverable in accordance with the Revenue Recovery Act, 1890.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Nodal officer. – (1) The Central Government shall designate an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in a nodal Department dealing with statistical matters, as the nodal officer for exercising powers and performing duties under these rules.

(2) Every State Government shall designate an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the State Government in a nodal Department dealing with statistical matters, as the nodal officer for exercising powers and performing duties under these rules.

4. Powers and duties of nodal officer.– (1) The nodal officer designated by the Central Government under sub-rule (1) of rule 3 shall perform the duties as per Section 3A of the Act including coordination and supervision of statistical activities in the following manner:

- (a) maintain and update the register of statistics officers, adjudicating officers and appellate authority appointed by the Central Government;
- (b) obtain and maintain, from time to time, information on the availability of statistics including unit-level data, whether collected under the provisions of the Act or not, with different Departments of the Central Government and nodal officers in the States;
- (c) advise the Departments of the Central Government and the nodal officers in the States on steps to improve the statistical potential of administrative records to avoid conducting separate statistical surveys to collect statistics contained or purported to be contained in such administrative records;
- (d) issue instructions from time to time on promoting the sharing of statistical information including unit-level data among different Departments of the Central Government and States to avoid unnecessary duplication of programmes of collection of statistics and resolve disputes or differences of opinion, if any, among them on the issue; and
- (e) submit annual report to the Central Government on the working of the Act.
- (f) for the purpose stated in 4(1)(e), nodal officer may call for any information as he deems fit, including the number of cases adjudicated and penalty imposed by the appropriate Government.

(2) The nodal officer designated by the State Government under sub-rule (2) of rule 3 shall –

- (a) maintain and update the register of statistics officers, adjudicating officers and appellate authority appointed from time to time in the State;
- (b) obtain and maintain from time to time information on availability of statistics including unit-level data, whether collected under the provisions of the Act or not, with different Government Departments and local governments in the State;

- (c) advise the Departments of the State Government and local governments in the State on steps to improve the statistical potential of administrative records to avoid conducting separate statistical surveys to collect statistics contained or purported to be contained in such administrative records;
- (d) issue instructions from time to time on promoting the sharing of statistical information including unit-level data among Departments of the State Government and local governments in the State to avoid unnecessary duplication of programmes of collection of statistics and resolve disputes or differences of opinion, if any, among them on the issue; and
- (e) obtain reports, as may be required, on the working of the Act from Government Departments and local governments in the State and submit annual report on the working of the Act in the State to the nodal officer appointed by the Central Government.
- (f) for the purpose stated in 4(2)(e), nodal officer may call for any information as he deems fit, including the number of cases adjudicated and penalty imposed by the appropriate Government.

5. Direction on collection of statistics.- (1) Any Department of the Central Government shall, before making a direction under section 3 of the Act for collection of statistics on any subject for any reference period in any geographical unit under its jurisdiction, consult the nodal officer of the Central Government to avoid unnecessary duplication in collection of statistics.

(2) Any Department in a State Government or any local government in a State shall, before making a direction under section 3 of the Act for collection of statistics on any subject for any reference period in any geographical unit under its jurisdiction, consult the nodal officer in the State to avoid unnecessary duplication in collection of statistics

(3) The nodal officer shall, on receipt of any request under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, within a period of one month render such advice as may be necessary to avoid duplication in collection of statistics.

(4) The appropriate Government on receipt of advice under sub-rule (3) shall communicate to the nodal officer, the reasons in all cases of disagreement with such advice, at least fifteen days prior to issuing notification under section 3 of the Act.

(5) Every notification under section 3 of the Act shall contain the following particulars, namely: -

- (a) subject and purpose for collection of statistics;
- (b) geographical area for the collection of statistics;
- (c) method of data collection;
- (d) nature of informants from whom data may be collected;
- (e) the period during which the collection of statistics may be completed;
- (f) reference period;
- (g) nature of the information to be collected;
- (h) language in which information is to be furnished by the informant;
- (i) obligation of informant;
- (j) nature of business records and other records which may be inspected;
- (k) the manner of inspection; and
- (l) details of statistics officers, adjudicating officers and appellate authorities, as provided in Rule 7.

(6) A copy of every notification referred in sub-rule (5) shall be forwarded to the nodal officer of the Central Government and the nodal officer of the State concerned.

(7) Appropriate Government may like to place such notifications in public domain.

6. Principles for prescribing information schedules. - In respect of prescribing any information schedule in any form, for the collection of statistics on any subject, the appropriate Government, as the case may be, shall satisfy itself that –

- (i) it has the authority to direct collection of statistics on the subject under the Act subject to the restrictions given in the proviso to section 3 of the Act;
- (ii) it has, for the purpose of finalising items on which information is to be collected, consulted the nodal officer to include the requirements of other Government Departments;
- (iii) excessive demands would not be placed on the informants by making the direction and for the purpose field testing of information schedules has been carried out where necessary;
- (iv) the range and detail in the information schedules specified for the collection of statistics on any subject shall be limited to what is absolutely necessary;
- (v) the reporting burden shall be spread as widely as possible over informant populations through appropriate sampling;
- (vi) the information sought from business shall, as far as possible, be readily available from their accounts and electronic means are used where possible to facilitate their collection;
- (vii) best estimates and approximations on any item of information sought shall be accepted when exact details are not readily available with any informant;
- (viii) each information schedule used for collecting statistics from any informant has, where necessary, a provision for particulars on which information may be furnished at the discretion of the informant;
- (ix) provision is made in each information schedule for filling up the details and appending the signature of the person concerned who would be engaged in the collection of statistics;
- (x) indicate in each information schedule, for the general information of informants prior to collection of statistics from them under the Act, its plan, if any, to disclose any information collected from them which in the opinion of the appropriate Government is otherwise available to the public under any other Act or as a public document or which is in the form of an index or list of the names and addresses of informants together with the classification, if any, allotted to them and the number of persons engaged; and
- (xi) make a provision in each information schedule to obtain written consent from each informant whose information other than the information covered in clause (x), it proposes to disclose.

7. Appointment of statistics officers, adjudicating officers and appellate authorities. - (1) Appropriate Government under section 4, 15A and 15B of the Act may appoint statistics officers, adjudicating officers and appellate authorities and shall provide with following particulars, through any notification issued thereto, namely:-

- (a) designation and address of the officer appointed as statistics officer, for each geographical unit for the collection of statistics;
- (b) designation and address of the officer appointed as adjudicating officer for each geographical unit for the collection of statistics;
- (c) designation and address of the officer appointed as appellate authority for each geographical unit for the collection of statistics;
- (d) details of any agency or company or organisation or association or person engaged for the collection of statistics, and, terms and conditions of engagement and safeguards laid down for the purpose;
- (e) the form and the particulars required or the interval within which, and the statistics officer to whom, the statistical information by the informants shall be furnished; and

- (f) the powers, if any, delegated under sub-sections (4) or (6) of section 4 the Act to any statistics officer.

(2) Every statistics officer, adjudicating officer and appellate authority, immediately on their appointment, shall submit an undertaking in Form-I to the appropriate Government.

8. Registration of statistics officers, adjudicating officers and appellate authorities . - The appropriate Government shall maintain a record of statistics officers, adjudicating officers and appellate authorities in respect of their appointment, their terms and geographical areas for which they have been appointed, in Form-II on the basis of the notifications provided under section 3 of the Act read with section 5 of the Rules.

9. Powers and functions of a statistics officer. - A statistics officer, appointed for the purposes of collection of statistics on any subject in any geographical unit, shall –

- (i) take, aid in and supervise the collection of statistics;
- (ii) cause agencies to be appointed or engaged for collection of statistics;
- (iii) obtain an undertaking from all the persons engaged in the collection of statistics in Form-I and forward them to the appropriate Government or to an officer authorised for the purpose by that Government;
- (iv) devise or cause to devise relevant information schedules and the mode or modes of collection of statistics with necessary approvals, if any;
- (v) allot or cause to allot work of collection of statistics in his jurisdiction to different persons and agencies engaged for the purpose;
- (vi) provide all the relevant material to be distributed to agencies engaged and arrange for their training for facilitating the collection of statistics;
- (vii) cause to provide necessary publicity for the collection of statistics at an appropriate time;
- (viii) coordinate the work of all agencies during the period of collection of statistics and maintain liaison with local authorities for smooth conduct of the collection of statistics;
- (ix) cause notices to informants, for furnishing information, issued under his signature, where necessary, and cause acknowledgements received from such informants, to be kept in safe custody;
- (x) take steps, in case of statistical surveys having the same set of informants with different reference periods, to issue only one notice to each informant indicating therein the information required to be furnished and the reference periods for which the information is required;
- (xi) cause entry of persons authorized by him in writing and carrying a photo-identity card issued by him into any premises of any informant for collection of statistics;
- (xii) cause necessary assistance provided to informants requiring such assistance for furnishing the information sought;
- (xiii) cause access to any informant to the information collected from that informant for facilitating intimation of corrections or amendments on any inaccurate information;
- (xiv) cause verification of information furnished by any informant;
- (xv) In cases of contraventions of the Act, following due process, initiate action against alleged contravener in accordance with the provisions of the Act and these rules;
- (xvi) obtain from the agencies engaged in the collection of statistics, all the information schedules, all the undertakings obtained from persons engaged in the collection of statistics, and all other relevant records and documents on completion of their work and forward them with a certificate to that effect to the appropriate Government or to any officer authorised by that Government;

- (xvii) carry out such other tasks as may be necessary for the successful collection of statistics; and
- (xviii) submit periodical reports as may be specified by the appropriate Government.
- (xix) maintain the register of cases reported as contraventions of the Act, their disposals, details of penalties and recoveries and status thereof.
- (xx) monitor the compliance of order of deposit of the penalty when it becomes due in accordance with the orders of the adjudicating officer/ appellate authority.
- (xxi) initiate the process of recovery of penalty, as an arrear of landrevenue, in cases of non deposit of penalty as ordered.

10. Assistance in collection of statistics. - (1) Every Department of the Central Government or the State Government or the local governments shall furnish within such time and in such form as required, the list of informants and other information which is available with them, relevant for conducting any statistical survey under these rules to a statistics officer or any agency or person authorised by the appropriate Government upon receipt of a notice to that effect.

(2) The appropriate Government or a statistics officer, as the case may be, may write to any Department of the Central Government or the State Government or any local government specifying the nature of assistance required for collection of statistics under the Act and upon receipt of such communication, the latter shall comply with the requirement to the extent feasible.

(3) In cases of collection of statistics in disturbed areas, the police, the para- military and the armed forces shall provide such assistance as would be required by the concerned statistics officer.

11. Duty to furnish information. - Subject to the provisions of section 6 of the Act,

(1) every informant shall, on demand, produce or give a copy of any books of accounts, vouchers, documents, or other business records or personal records or documents in his possession relevant to the collection of statistics under the Act to any statistics officer or any person authorised by him in writing and carrying a photo-identity card issued by him, and the statistics officer or the authorised person, as the case may be, may take a copy or extract of such record or document; and

(2) the head of every family shall be responsible to furnish or cause to furnish the correct details of name and number of members, other particulars, records and documents, as may be required, of the family of which he is the head including dependants:

provided that in so far as inmates of institutions, such as orphanages, old age homes, and mental asylums are concerned, the responsibility for providing or causing to provide the requisite details, records and documents shall lie with the head of the Institution.

12. General terms, conditions and safeguards for outsourcing. - Every contract or arrangement for the collection of statistics under the Act by any person or agency or company or organisation or association shall be subject to the following terms, conditions, and safeguards, namely: -

- (a) outsourcing arrangements shall be subject to a formal and comprehensive written contract;
- (b) functions which are to be decided and enforced by the appropriate government under the Act shall not be outsourced;
- (c) appropriate Government or a statistics officer/ any other officer authorised for the purpose by that Government shall have a right, of information and conduct or order on-site inspections in an outsourcing service provider's premises or place of work and right to cancel the contract in case of unsatisfactory performance;
- (d) every agency, engaged in the collection of statistics, shall render such help and assistance and furnish such information to the statistics officer or a person or an agency authorised by him in writing, as he may require for the discharge of his functions, and shall make available for inspection and examination such records, plans and other documents, as may be necessary;

- (e) persons engaged by any agency for the collection of statistics, are made aware of the agency's obligations, and they shall submit a written undertaking in Form-I to the concerned statistics officer not to access, use, disclose or retain personal information except in performing their duties of employment or contractual obligations; and are informed that failure to comply with the provisions of the Act and these rules may render themselves for penalty as per the provisions of the Act;
- (f) each person engaged in any activity relating to the collection of statistics shall be bound by the provisions of the Act and these rules, the violation of which shall render him for penalty as per the provisions of the Act;
- (g) provisions relating to disclosure of information and restrictions of their use under sections 9, 10, 11, 12, 13 and 14 of the Act and these rules shall have effect during the period of collection of statistics provided in the contract and shall continue to have effect even after the termination or completion of the contract, as the case may be;
- (h) the appropriate Government or any statistics officer or any other authority appointed by the appropriate Government on receipt of any complaint shall immediately communicate the agency engaged in collection of statistics of only those details of the complaint, as may be necessary to minimize any breach or prevent further breaches of the agreement or failure to comply with any of the provisions of the Act or these rules;
- (i) if any agency engaged in collection of statistics receives any complaint from any informant, it shall immediately communicate the complaint to the appropriate Government or the concerned statistics officer or any other authority appointed by the appropriate Government, as may be required;
- (j) the appropriate Government or the statistics officer or any other authority appointed by the appropriate Government may, on receipt of any communication under clauses (h) or (i), give directions, as may be necessary, to the agency; and
- (k) the statistics officer and every person engaged in the collection of statistics shall, on completion of their work, handover all the records and documents and furnish a certificate to that effect to the appropriate Government or to an officer authorised for the purpose by that Government.

13. Restrictions on use of personal information. - Each agency engaged in the collection of statistics shall take all reasonable measures to ensure that -

- (a) personal information is protected against unauthorised access, disclosure or other misuse;
- (b) the agency uses personal information only for the purpose of fulfilling its obligations under a specified contract;
- (c) in the case of repetitive statistical surveys with a common set of informants, the agency uses the personal information earlier collected only for the purpose of setting up interviews with or otherwise contacting informants; and
- (d) the agency uses personal information for data processing only with adequate security checks.

14. Right of entry into any premises of informants. - A statistics officer or any person authorised by him in writing and carrying a photo-identity card issued by the statistics officer, shall, during the period of collection of statistics for the purpose of collection of statistics under the Act or for inspection and examination of records, and documents in connection with it, during 10.00 hrs to 17.00 hrs on any day or at a time mutually convenient to both the parties have the right to enter the premises of any informant in the portion of the premises normally entered by visitors or guests or as suggested by the informant.

15. Processing of cases arising out of any alleged contravention of the Act - (1) In cases of any alleged contravention of the Act by the informant, statistics officer, after making such inquiries as deemed fit, may cause a notice issued to the alleged contravener in writing, to show cause within a reasonable period of time to be specified in the notice as to why penalty proceedings should not be initiated against him for the contravention of the provisions of the Act.

(2) A statistics officer after considering the explanation, if any, furnished by the alleged contravener in pursuance to the notice issued under sub-rule (1) of this rule, and after satisfying himself for reasons to be recorded in writing, shall forward the case along with the explanation furnished by the alleged contravener, as also the grounds for initiating the proceedings for penalty to the Adjudicating Officer.

(3) In case of any alleged contravention of the Act by any person other than an informant, the appropriate Government may, after making inquiries as per the rules, cause a notice issued to the person in writing to show cause within a reasonable period to be specified in the notice as to why penalty proceedings should not be initiated against him for the contravention of the provisions of the Act.

(4) The appropriate Government may, if it considers necessary, send a copy of the show-cause notice issued under sub-rule (3) of this rule and the explanation, if any, received from the alleged contravener to the concerned adjudicating officer for holding an inquiry for determination and imposition of penalty or otherwise.

(5) In cases of persons other than an informant who act in contravention of provisions under the Act, appropriate Government may, if it considers necessary, initiate independent proceedings as per the rules applicable to the nature of the alleged contraventions reported upon in respect of provisions of the Act.

15A. Determination and imposing of, penalty. –

(1) The appropriate Government may appoint as many officers as may be required, not below the rank of statistics officers, as adjudicating officers to hold an inquiry and impose penalty under the provisions of the Act.

(2) Whenever a case on alleged contravention for determination and imposition of penalty is referred to, the adjudicating officer shall inquire into the matter and hold a hearing, either in person or virtual or by any other admissible mode.

(3) Adjudicating officer shall issue a notice of hearing to the parties, including person (s) acquainted with the facts and circumstances of the case, by name, mentioning the alleged contravention, date, venue and mode of hearing, along with the relevant documents of the case, at least 15 days ahead of the scheduled date of hearing.

(4) The notice of hearing may also provide for submission of written communication(s), which may be relevant for deciding the case, by the parties, if they so desire prior to the date of hearing.

(5) The notice of hearing shall be served in the following modes, namely:—

(i) by speed/registered post

(ii) by electronic mail in case electronic address is available;

and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.

(6) The parties may be present in person or through his duly authorised representative, by the specified mode of hearing as decided by the adjudicating officer including video conferencing, if the facility of video conferencing is available, at the time of hearing of the case.

(7) The adjudicating officer, after hearing the parties shall pass a reasoned and speaking order under his signature and seal of the authority he represents. A copy of the said order shall be served upon the parties and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.

(8) If the penalty has been imposed on the contravener under the provisions of the Act, the details of the appellate authority and the time line for preferring an appeal against the order passed by the adjudicating officer shall be provided. In addition, the details of the Government account and the mode of recovery of the penalty amount as also the timeline not less than thirty days by when the amount be deposited, shall be provided in the order. Further, the process of recovery as an arrear of land revenue, if the penalty is not deposited within the timeline, shall also be mentioned in the order.

(9) The order should also mention reporting of compliance of the penalty order, by the contravener, to the statistics officer.

15AA. Powers of the adjudicating officer:- An Adjudicating officer appointed under section 15A of the Act to hold an inquiry and impose penalty, shall also have the powers to-

- (i) call for oral or written evidence on oath or on affidavit from parties including from any other person who has been summoned;
- (ii) peruse or inspect relevant documents, records or copies thereof;
- (iii) summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case. Any appropriate agency including the District Administration shall render such assistance on receiving a reference regarding enforcing the attendance of any person while discharging the duties of the adjudicating officer appointed under the Act.

15B. Appeal against the order of adjudicating officer.— (1) The appropriate Government may appoint any of its officers, above the rank of adjudicating officer, as an appellate authority under the provisions of the Act.

(2) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in Form-III.

(3) An appeal may be admitted even after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. In case the appeal has been preferred against the order of the adjudicating officer, the operation of the order of the adjudicating officer shall be kept in abeyance, till the disposal of the appeal.

(4) Whenever, such an appeal is received, the appellate authority shall hold a hearing, either in person or virtual or by any other admissible mode, as may be decided by the appellate authority.

(5) The appellate authority shall issue a notice of hearing to the parties, including person (s) acquainted with the facts and circumstances of the case, , by name, date, venue and mode of hearing, along with the relevant documents of the receipt on appeal, at least 15 days ahead of the scheduled date of hearing.

(6) The notice of hearing may also provide for submission of written communication(s), which may be relevant for deciding the appeal, by the parties, if they so desire at least 5 days ahead of the date of hearing.

(7) The notice of hearing shall be served in the following modes, namely:—

(i) by speed/registered post

(ii) by electronic mail in case electronic address is available;

and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file

(8) The parties may be present in person or through his duly authorised representative by the specified mode of hearing as decided by the appellate authority including video conferencing, if the facility of video conferencing is available, at the time of hearing of the case.

(9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.

(10) A copy of the said order shall be served upon the parties and the statistics officer concerned, and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.

(11) If the appellate authority has upheld the order of the adjudicating officer, a timeline for compliance of the said order should also be mentioned in the decision of the appeal.

(12) The appellate authority referred to in sub-section (1) of Section 15B of the Act, shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing the appeal.

16. Storage of data and records. - Subject to the provisions of section 13 of the Act, the appropriate Government or an officer authorised by that Government shall, provide details by which any informant could access his own information for facilitating intimation of corrections or amendments on any inaccurate information, store the statistics collected under the provisions of the Act in such a manner as would facilitate easy retrieval of information collected from any informant so as to provide access to the informant, if necessary and keep all the undertakings and other material obtained from the statistics officers and other persons or agencies engaged in collection of statistics in safe custody.

Form-I

[See rules 7 (2), 9 (iii), 12 (e)]

Undertaking by statistics officer/ adjudicating officer/ appellate authority and other persons to be engaged in any capacity for collection of statistics under the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009)

I, _____(Full Name), born on _____(Date of birth), son/ daughter/ wife of _____(Name of person) resident of _____(address) do hereby solemnly affirm, that I accept the responsibility (nature of work) assigned to me for collection of statistics in respect of _____(direction under section 3 / section 15A / section 15B of the Act) under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) as amended through Jan Vishwas (Amendment of Provisions) of Act, 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2023, that I shall not access, use, disclose or retain personal information of any informant except in performing my duties of employment or contractual obligations in respect of collection of statistics, and that in case of any violation on my part to comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder, and I shall render myself liable, in terms of the extant provisions of the Act or relevant law as applicable .

Place: _____

Date: _____

Signature of statistics officer/adjudicating officer/appellate authority or the person
engaged in any capacity for collection of statistics

Form-II

(See rule 8)

Register of statistics officers/adjudicating officers/appellate authorities to be maintained by the appropriate Government

1. Details of the direction issued under section 3 of the Collection of Statistics Act, 2008:
2. Name and address of the appropriate Government making direction:
- 3.(a) Details of statistics officers appointed for collection of statistics under the aforesaid direction:

S. No.	Designation of statistics officer	Official address	Geographical unit for which appointed and period of appointment	Powers, if any, delegated under section 4 (4) and section 4(6) of the Act
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date of appointment	Period of appointment
(6)	(7)

- (b) Details of adjudicating officers for collection of statistics under the aforesaid direction:

S. No.	Designation of adjudicating officer	Official address	Geographical unit for which appointed and period of appointment
(1)	(2)	(3)	(4)

Date of appointment	Period of Appointment
(5)	(6)

(c) Details of appellate authority for collection of statistics under the aforesaid direction:

S. No.	Designation of appellate authority	Official address	Geographical unit for which appointed and period of appointment
(1)	(2)	(3)	(4)

Date of appointment	Period of appointment
(5)	(6)

Place: _____

Date: _____

Signature with office seal of the officer
responsible for maintaining the record of statistics officers, adjudicating officers
and appellate authorities

Form-III (Form for filing the appeal against order of Adjudicating Officer)

[See Rule 15 B]

To,

The Appellate authority appointed under the Act:
Geographical Jurisdiction of the Appellate authority:

Subject: Appeal under section 15 B of the Act

1. Name and address of the appellant.....
2. Name and address of the Adjudicating Officer.....
3. Particulars of the case for which penalty has been imposed.....
4. Particulars of the order(s) including number and date, if any, against which the appeal is preferred.....
5. Amount of Penalty (Amount in Rs.).....
6. Grounds for appeal

7. Prayer or relief sought in the appeal:
.....
8. Any other information relevant to the appeal
.....
9. Whether appeal filed within 30 days (Yes/No)? If No, justification may be given for delay
.....

Name of the Appellant.....

Signature.....

Place.....

Date.....

Address for correspondence (including mobile/telephone number and email, wherever available).....

Enclosures:

1. Copy of the order passed by Adjudicating officer.
2. Case documents as received from Adjudicating officer at the time of hearing
3. Any other relevant material relied upon.
4. Justification for delay if any.

[F. No. – P-12011/1/2018-CAP]
C. K. JHA, Dy. Director General (CICD)

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub- section (ii) vide G.S.R. 387(E) dated May 16, 2011.